16.9.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/14	अपील	05.05.2025	16.09.2025

उनवान

1:–प्रभुदयाल पुत्र सूगला राम निवासी नांगलहीरा, तहसील व जिला अलवर हाल निवासी 17/186, नई संजय कैम्प, ओखला फेस–1, औखला औद्योगिक एरिया, फेज–1, दक्षिण दिल्ली –110020

अपीलार्थी

बनाम

1:–ग्राम पंचायत किथूर, पंचायत समिति किशनगढ़बास जिला अलवर, राजस्थान हाल ग्राम पंचायत जाजोर

2:–कमलेश पुत्र सूगला
3:–रूपचन्द पुत्र सूगला
4:–सुमन पुत्री सूगला
5:–सीताराम पुत्र सूगला जातियान चमार निवासीयान नांगलहीरा, तहसील व जिला अलवर,

असल रेस्पोडेंट

तरतीबी रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 458 आदेश दिनॉक 01–02–2019 वाके ग्राम नांगलहीरा, ग्राम पंचायत किथुर, हाल ग्राम पंचायत जाजोर तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता प्रभुदयाल पुत्र स्वर्गीय सूगला राम, निवासी ग्राम नांगल हीरा, तहसील अलवर, जिला अलवर का स्थायी निवासी है। अपीलकर्ता का वास्तविक और विधिक नाम प्रभुदयाल है, जिसका आधार कार्ड संख्या 7791 0148 3943 है, और यह नाम सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है।

यह है कि अपीलकर्ता के पिता स्व. सूगला राम पुत्र मामला, जो आराजी खाता संख्या 176, खसरा संख्या 101, 229, 239, 280, 281, 304, 305 एवं 93 कुल रकबा 1.32 हेक्टेयर, ग्राम नांगल हीरा, तहसील अलवर में खातेदारी भूमि के वैध काश्तकार थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं। जिसके वारिसान अपीलान्ट सं. 1 प्रभूदयाल व तरतीबी रेस्पोडेंट सं. 2 ला० 5

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कमलेश, रूपचन्द, सुमन, सीताराम विधिक वारिस हैं जिनके अतिरिक्त मृतक सूगला राम के कोई अन्य वारिस नहीं हैं। विरासत इंतकाल सं. 458 दिनांक 01.02.2019 रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा स्वीकार किया गया अब ग्राम नांगल हीरा की ग्राम पंचायत जाजोर है अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर वारिसों के नाम विरासत इंतकाल संख्या 458 दिनांक 01.02.2019 को ग्राम पंचायत किथूर द्वारा पारित कर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया गया उक्त इंतकाल में पिता के पांच वारिसों कमलेश (पुत्री), रूपचंद (पुत्र), सुमन (पुत्री), सीताराम (पुत्र) और अपीलकर्ता को 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज किया गया अपीलकर्ता का नाम उक्त विरासत आदेश में झूथ्याराम दर्ज किया गया जो कि उसके घर का प्रचलित नाम मात्र है जबकि अपीलकर्ता के समस्त सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजात में उसका नाम प्रभुदयाल दर्ज है

मिन अपीलार्थी अब दिनांक 28.04.2025 को अपने गांव आया तथा अपीलार्थी ने अपनी उक्त आराजी की जमीन की जमाबंदी की नकल निकलवाई गई तब मिन अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि उक्त जमाबंदी में मिन अपीलार्थी का नाम प्रभूदयाल के स्थान पर झूथ्याराम दर्ज है जिसके बाद मिन अपीलार्थी ने तहसील परिसर में जाकर अपने मृतक पिता सूगलाराम का विरासत इंतकाल सं. 458 दिनांक 01.02.2019 का अवलोकन करने व नकल आवेदन किया गया जिस पर ज्ञात हुआ कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पिता के तस्दीक किये गये विरासत इंतकाल सं. 458 में मिन अपीलार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रभूदयाल के स्थान पर घर पर बोले जाने वाला नाम झूथ्याराम दर्ज कर दिया गया हैं

इस त्रुटिपूर्ण विरासत इंतकाल के आधार पर जमाबंदी रिकॉर्ड, नक्शा इत्यादि में झूथ्याराम के नाम से प्रविष्टियाँ दर्ज कर दी गई हैं जिससे अपीलकर्ता को निम्नलिखित व्यवहारिक हानियाँ हो रही है जैसे बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है और किसी भी प्रकार की भूमि से संबंधित योजना का लाभ लेने में रुकावट उत्पन्न हो रही है तथा भूमि के क्रय–विक्रय, सीमांकन, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो रही है व अपीलकर्ता की कानूनी पहचान पर संदेह उत्पन्न हो रहा है जिससे उसकी प्रतिष्ठा एवं भविष्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ग्राम पंचायत किथूर द्वारा विरासत इंतकाल पारित करते समय अपीलकर्ता को सम्यक रूप से तलब नहीं किया गया ना ही किसी प्रकार की जांच, मौका रिपोर्ट या कब्जे की पुष्टि की गई उक्त आदेश एकतरफा मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल पारित किया गया है

अपीलकर्ता का नाम झूथ्याराम दर्ज किया जाना न केवल एक लिपिकीय त्रुटि है बल्कि यह कानूनन एक गंभीर विसंगति है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के आधार पर ही व्यक्ति की भूमि पर विधिक हैसियत तय होती है यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता ने उक्त विरासत इंतकाल को पारित किए जाने के 5 वर्षों तक इस त्रुटि को नहीं देखा क्योंकि इस प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं किया गया था और रिकॉर्ड में दर्ज नाम का विरोधाभास उसे तभी ज्ञात हुआ जब वह बैंक प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ। यह देरी न तो जानबूझकर है और न ही दुर्भावना से, बल्कि त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम है

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय ग्राम पंचायत किथूर पंचातय समिति किशनगढ बास का इंतकाल सं. 458 दिनांक 01.02.2019 में मिन अपीलार्थी का नाम झूथ्याराम के नाम को कलमजन किया जाकर उसके

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

स्थान पर अपीलार्थी के सही व वास्तविक नाम प्रभूदयाल दर्ज कर संशोधित इंतकाल मंजूर करने व उसका अमल राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त फरमाने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत जाजोर के लेटर पेड पर जबाव पेश किया कि प्रभूदयाल एंव झूथ्याराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इनके पिता का नाम सुगला है ग्राम नांगलहीरा पो0 किथूर थाना सदर अलवर के मूल निवासी है मे इन्हे भली भाति जानता हूँ तथा तरतीवी प्रतिवादीयान के द्वारा जबाव पेश नही किया गया उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये एक तरफा बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम आधार कार्ड स0 7791 0148 3943 मे एंव आयकर स्थायी लेखा स0 कार्ड न0 एचएमबीपीडी 1274 एच में मिन अपीलान्ट का नाम प्रभूदयाल है झूथ्याराम के स्थान पर प्रभूदयाल किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योकि झूथ्याराम उसका बोलता नाम है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ तथा बहस पर मनन किया जाकर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात एंव प्रमाणित रिकॉर्ड आदि प्रस्तुत नही किया गया है कि जिससे जाहिर आवे कि अपीलकर्ता प्रभूदयाल एंव झूथ्याराम एक ही व्यक्ति है भिन्न–भिन्न नही है जिससे प्रकरण नामान्तकरण अपील का नही बनने के कारण दावे की श्रैणी का बनना पाया जाता है अतः प्रकरण राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 16 –09–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर